छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील क्रमांक 101/2006</u>

श्री पदमचंद नाहटा,
एल.आई.जी.–80 सेक्टर–2,
शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
संचालनालय, आर. डी. ए.
बिल्डिंग, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 27 दिसम्बर 2006)

श्री पदमचंद नाहटा निवासी–रायपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन–पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा आवेदन–पत्र दिनांक 16–12–2005 के द्वारा जन सूचना अधिकारी, नगरीय निकाय संचालनालय से एक निर्धारित प्रारूप में जानकारी चाही थी, जिसमें सड़कों के संरक्षण एवं निर्माण कार्य से संबंधित ठेकेदारों का नाम, मूल कार्य की लागत, कार्य समाप्ति का दिनांक, ठेकेदारों के द्वारा दी गई गारंटी, ठेकेदारों को दिया गया भुगतान, सड़कों के संरक्षण के लिए कार्य प्रारंभ करने का दिनांक, कार्य समाप्त होने का दिनांक, ठेकेदारों को दिये गये नोटिस आदि की 17 बिन्दुओं की जानकारी चाही थी। संचालनालय के द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 20–12–2005 के द्वारा सूचित किया गया कि मांगी गई जानकारी संबंधित स्थानीय शासन संस्थाओं – नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों से प्राप्त करें, क्योंकि वे पृथक से वहां लोक प्राधिकारी हैं। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की, जो कि अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को नोटिस जारी किया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि संचालनालय के द्वारा सभी नगरीय निकायों से जानकारी एकत्र कराकर उसे निर्धारित अवधि में देना चाहिए। उसने बतलाया कि संचालनालय ने सभी नगरीय निकायों को जानकारी देने के लिए लिखा भी था, किन्तु बाद में अपीलार्थी को नगरीय निकायों से जानकारी लेने के लिए

निर्देशित किया गया। प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि अपीलार्थी ने राज्य के सभी नगरीय निकायों से संबंधित विस्तृत जानकारी चाही थी, जो कि संचालनालय में उपलब्ध नहीं रहती है। नियमानुसार जन सूचना अधिकारी वही जानकारी दे सकता है जो कि उसके अधीन उपलब्ध हो।

4/ प्रदेश का प्रत्येक नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के अधीन गठित है तथा वह अपने अधिकार एवं कर्त्तव्यों के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्वायत्त इकाई है। नगरीय निकायों के द्वारा अपने स्तर पर निर्माण कार्य करने के आदेश दिये जाते हैं तथा संबंधित अभिलेख उन्हीं निकायों में रहते हैं। चूँकि उक्त संस्थाएँ स्वतंत्र इकाई हैं तथा वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वे लोक प्राधिकारी हैं। अतः उनके कार्यालयों में उपलब्ध जानकारी संचालनालय नगरीय निकाय से प्राप्त नहीं हो सकती। अपीलार्थी का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि नगरीय निकाय राज्य शासन एवं संचालनालय के अधीन है अतः उनकी जानकारी संचालनालय बुलाकर अपीलार्थी को दे। प्रत्येक नगरीय निकाय स्वतंत्र रूप से कार्यरत है तथा वह स्वयं कार्यों को कराने का निर्णय करता है। अतः वह स्वतंत्र लोक प्राधिकारी है, अतः आवेदक को जिस लोक प्राधिकारी से जानकारी चाहिए उसके जन सूचना अधिकारी को विधिवत् आवेदन–पत्र देना चाहिए। जन सूचना अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के द्वारा दिया गया निर्णय उचित एवं न्यायसंगत है।

5/ अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त